$~70

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 11.12.2023

सि.वि.(मु) 2030/2023 एवं सि.वि.आ. 63774/2023

रमेश कुमार पुरी ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री सोनाक्षी धीमान, अधिवक्ता

बनाम

डुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नहीं

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

निर्णय

न्या. (मौखिक) मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा:

सि.वि.आ. 63775/2023 (छूट के लिए)

सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन अनुमति है।

तदनुसार, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

सि.वि.(मु) 2030/2023 और सि.वि.आ. 63774/2023

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका वाणिज्यिक वाद यानी सिविल वाद (वाणि.) सं. 166/2023 अर्थात ***"डुगर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम रमेश कुमार पुरी"*** में जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

('वाणिज्यिक न्यायालय') द्वारा पारित दिनांक 09.11.2023 के आदेश पर आपत्ति जताती है, जिसके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सि.प्र.स.') के आदेश VII के नियम 10 और 11 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

1.1. याचिकाकर्ता यहाँ मूल प्रतिवादी है और प्रत्यर्थी यहाँ उक्त वाणिज्यिक वाद में मूल वादी है।

1.2. वाणिज्यिक वाद 17,79,581/- रुपये की वसूली के लिए दायर किया गया है। पक्षकारगण को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष उनकी रैंक और स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाता है।

1.3. इस मामले के तथ्यों में, प्रतिवादी 120 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर अपना लिखित बयान दर्ज करने में विफल रहा और इसलिए, प्रतिवादी का लिखित बयान दर्ज करने का अधिकार वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2023 के आदेश के तहत बंद कर दिया गया था। उक्त आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली है और इस न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं किया गया है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, अर्थात प्रतिवादी का कहना है कि वाणिज्यिक न्यायालय ने गलती की है क्योंकि वह यह समझने में विफल रहा

है कि वादी वाद हेतुक के किसी भी कारण का प्रकटीकरण करने में विफल रहा है।

2.1. उन्होंने कहा कि चूंकि उक्त वाद वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 ('2015 का अधिनियम') के तहत दायर किया गया है, इसलिए वादपत्र 2015 के अधिनियम द्वारा संशोधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

2.2. उनका कहना है कि वादपत्र सि.प्र.स. के परिशिष्ट 'क' में फॉर्म सं. 3 के सहपठित आदेश VI नियम 3क, सि.प्र.स. का अनुपालन नहीं करता है। उनका कहना है कि उक्त फॉर्म सं. 3 के अनुसार, वादी को उन प्रत्येक रसीदों का विवरण विशेष रूप से देना चाहिए था, जिस पर वादपत्र में विशेष रूप से दावे स्थापित किए गए हैं।

2.3. वह कहती है कि रसीद के विवरण के उल्लेख की अभाव में, वादी आदेश VII के नियम 1 सि.प्र.स. की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफल रहा है।

2.4. उनका कहना है कि वादपत्र में वादी ने 18% प्रतिवर्ष की दर से वादकालीन ब्याज और भविष्य के ब्याज का दावा किया है। वह कहती हैं कि हालांकि, उक्त दावे के लिए 2015 के अधिनियम द्वारा संशोधित आदेश VII

नियम 2 क, सि.प्र.स. के तहत आवश्यक विवरणों का उल्लेख वादपत्र में नहीं मिलता है।

2.5. उनका कहना है कि शुरुआत में वादपत्र कम न्यायालय शुल्क सहित दायर किया गया था और सि.प्र.स. की धारा 148 के तहत दायर आवेदन की सामग्री भी भ्रामक थी; और इसलिए, वाणिज्यिक न्यायालय ने विवादित आदेश द्वारा, वादी को कम न्यायालय शुल्क की भरपाई हेतु समय का विस्तार देने में गलती की।

2.6. उनका कहना है कि वादपत्र में इन दोषों को देखते हुए उक्त विवादित आदेश रद्द किया जाना चाहिए और वादपत्र को वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए। वह ***'चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पौन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट'*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करती है, जिसे ***(2012) 8 एससीसी 706*** में प्रकाशित किया गया है, यह तर्क देने के लिए कि एक वादपत्र, जो वाद हेतुक का प्रकटीकरण करने में विफल रहता है, को वाद हेतुक बताना चाहिए, के आधार पर बर्खास्त कर दिया जाए।

3. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अध्ययन किया है।

4. इस न्यायालय ने वाणिज्यिक न्यायालय के विवादित आदेश पर विचार किया है, जो इस प्रकार है:-

> *"निस्सन्देह, वादपत्र के साथ दायर किए गए दस्तावेज़ वादपत्र का हिस्सा हैं और माना जाता है कि उन्हें वादपत्र के हिस्से के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। जहां किसी दस्तावेज़ पर वाद दायर किया जाता है और उसकी शर्तें वादपत्र में निर्धारित नहीं की जाती हैं, लेकिन वादपत्र में संदर्भित होती हैं, तो उक्त दस्तावेज़ वादपत्र में संदर्भ द्वारा शामिल हो जाता है।* ***वादपत्र में वादी ने हालांकि रसीदों का विवरण अलग से नहीं दिया है, लेकिन वादपत्र के पैरा 4 में रसीदों के बारे में उल्लेख किया गया है, जहां यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी फर्म को वादी कंपनी से कर रसीद के खिलाफ सामग्री प्राप्त हुई है। रसीद को फिर से वादपत्र के पैरा 7 में संदर्भित किया गया था।*** *इन तथ्यों में, यह नहीं कहा जा सकता कि वादपत्र बिना किसी वाद हेतुक के है या वादपत्र में आवश्यक विवरण गायब हैं।*
>
> *.....वादी को 9,34,281/- रुपए की ब्याज राशि पर न्यायालय शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जो वाद दायर करने तक उसके अनुसार अर्जित हुआ था। वादी केवल इस आधार पर न्यायालय शुल्क का भुगतान स्थगित नहीं कर सकता कि ब्याज पर निर्णय अभी बाकी है। वादी को आज से 2 सप्ताह के भीतर यथामूल्य न्यायालय शुल्क 9,34,281/- रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है।"*

5. अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने वादपत्र में रसीदों का उल्लेख किया है और वादपत्र के साथ उन रसीदों की प्रतियां भी दाखिल की हैं जिन पर भरोसा किया गया है।

6. इससे पहले कि यह न्यायालय आगे बढ़े, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 8 का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा, जो निम्नानुसार है:

> ***8. किसी अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन या याचिका पर रोक -*** *तत्काल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, वाणिज्यिक न्यायालय के किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ किसी भी सिविल पुनरीक्षण आवेदन या याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा,* ***<u>जिसमें क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर एक आदेश भी शामिल है</u>****, और धारा 13 के प्रावधानों के अधीन वाणिज्यिक न्यायालय की डिक्री के खिलाफ ऐसी कोई भी चुनौती केवल अपील में उठाई जाएगी।*
>
> (जोर दिया गया)

7. 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 3946 में प्रकाशित ***'ब्लैक डायमंड ट्रैकपार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम ब्लैक डायमंड मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड'*** में इस न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय का उल्लेख करना अनुदेशात्मक होगा, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2015 के अधिनियम की धारा 8 के अधिदेश पर विचार करते हुए, वाणिज्यिक वाद में पारित अंतरिम आदेशों में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत

याचिका बनाए रखने के लिए एक पक्ष के पास उपलब्ध उपचार अपवादात्मक परिस्थितियों में होगा और उच्च न्यायालय को इस क्षेत्राधिकार का संयमपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इस पहलू पर निर्णय का प्रभावी भाग इस प्रकार पढ़ा जाता है: -

> *"31. .....**इस प्रकार, हालांकि हमारा विचार है कि जिला न्यायाधीश के स्तर पर वाणिज्यिक वाद में आदेशों के संबंध में अनुच्छेद 227 वर्जित है, परंतु वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम द्वारा जो उपचार हटा लिया गया है उसके खिलाफ सि.प्र.स. के तहत एक पुनरीक्षण आवेदन सुनवाई योग्य था, लेकिन उपरोक्त निर्णयों का पालन करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि इसे कानून नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार पूरी तरह प्रतिबंधित है।** हालांकि, उक्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग ऐसे वाद में आदेशों के संबंध में संयमित और अधिक संयमित ढंग से किया जाना चाहिए जो सि.प्र.स. के तहत विधायी अर्थात वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम थे, और यह सुनिश्चित करना कि उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का ऐसा प्रयोग वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के पीछे विधायी इरादे और उद्देश्य को नकारता नहीं है और वाणिज्यिक वाद के शीघ्र निपटान के मार्ग में बाधा नहीं बनता है।*
>
> *(जोर दिया गया)*

8. उपरोक्त निर्णय को इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आगे समझाया गया था, जो '***अशोक कुमार पुरी और अन्य बनाम एस सनकॉन रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य***' में उक्त खंड न्यायपीठ के सदस्य भी थे,

जिसे 2021 एससीसी ऑनलाइन डेल 5220 में प्रकाशित किया गया था, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया:-

> *"9. खण्ड न्यायपीठ की उपरोक्त टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूरी तरह से लागू होती हैं। वर्तमान मामले में भी, यदि यह एक वाणिज्यिक मामला नहीं था, तो विवादित आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता का उपचार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सी. पी. सी.) की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करना होगा। हालांकि, उक्त उपचार को वाणिज्यिक मामलों के संबंध में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 8 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।* ***इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा बेहद संकीर्ण और केवल उन आदेशों के संबंध में सीमित है जिनमें स्पष्ट रूप से निहित क्षेत्राधिकार की कमी है।*** *यह ऐसा मामला नहीं है जहां वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा विवादित आदेश निहित क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया गया था।"*
>
> (जोर दिया गया)

9. सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने वाला विवादित आदेश निस्संदेह संशोधन के योग्य होता यदि यह एक सामान्य सिविल वाद होता। हालांकि, चूंकि आदेश एक वाणिज्यिक वाद में पारित किया गया है, इसलिए संशोधन का उपचार 2015 के अधिनियम की धारा 8 द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका पर विचार करते समय सावधानी बरतने के संबंध में खंड न्यायपीठ की

उपरोक्त टिप्पणियां इस मामले के तथ्यों से आकर्षित होती हैं। इस पर विचार करना होगा कि क्या प्रतिवादी ने वाणिज्यिक न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के पेटेंट की कमी को प्रमाणित करने वाली कोई अपवादात्मक परिस्थिति बनाई है, जिस कारण इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

10. ***'ब्लैक डायमंड ट्रैकपार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ब्लैक डायमंड मोटर्स',*** 2022 एससीसी ऑनलाइन डेल 545 मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निहित क्षेत्राधिकार की रूपरेखा पर प्रकाश डाला:

> *"5. आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी ग़लत क्यों न हों, जब तक कि विवादित आदेश में न्यायालय के विवेक को चौंकाने वाली कोई बेहद ग़लत या अन्यायपूर्ण बात न हो या निष्कर्ष इतने विकृत न हों कि न्याय के हित में न्यायालय का हस्तक्षेप करना नितांत आवश्यक हो जाए।* ***अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग संयमित ढंग से किया जाएगा।*** *उच्चतम न्यायालय ने इंडिया पाइप फिटिंग कंपनी बनाम फखरुद्दीन एमए बेकर (1977) 4 एससीसी 587 और मोहम्मद यूनुस बनाम मोहम्मद मुस्तकीम (1983) 4 एससीसी 566 मामले में देखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार यह देखरेख करने तक सीमित है*

कि एक अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने अधिकार की सीमा के भीतर कार्य करता है और इसका उद्देश्य किसी त्रुटि को सुधारना नहीं है, भले ही अभिलेख पर यह स्पष्ट हो। इस क्षेत्राधिकार को आकृष्ट करने के लिए बिना किसी अतिरिक्त बात के केवल एक गलत निर्णय पर्याप्त नहीं है।"

11. बहस के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि जिन रसीदों पर वादी दावा दायर करने के लिए भरोसा करता है, उन्हें वादपत्र के साथ विधिवत संलग्न किया गया है। यह तथ्य कि वादी उक्त रसीद पर भरोसा करता है, वादपत्र में भी विधिवत अनुरोध किया गया है।

11.1. इन तथ्यों और परिस्थितियों में, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि अभिलेख के अवलोकन पर वादपत्र वाद हेतुक का प्रकटीकरण करता है, उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है और किसी भी भौतिक अनियमितता से ग्रस्त नहीं है।

12. इसी तरह, प्रत्यर्थी को न्यायालय शुल्क के तहत कमी को पूरा करने की अनुमति देने वाला वाणिज्यिक न्यायालय का निर्देश भी एक निर्देश है, जो सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के प्रावधान को देखते हुए उसके क्षेत्राधिकार में आता है।

12.1. वाणिज्यिक न्यायालय ने वादी को न्यायालय शुल्क का भुगतान करने हेतु समय बढ़ाने की अनुमति देते समय अपने निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग

किया है और उक्त निर्देश में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

13. अधिनियम 2015 की धारा 8 के विधायी इरादे, ***ब्लैक डायमंड ट्रैक्स पार्ट प्राइवेट लिमिटेड*** (पूर्वोक्त) में खंड न्यायपीठ द्वारा व्यक्त की गई सावधानी और ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है विवादित आदेश किसी भी अशक्तता से ग्रस्त नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

14. इस न्यायालय की राय में, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष उक्त न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते हैं।

15. तदनुसार, वर्तमान याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

न्या. मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा

दिसंबर 11,2023/*आरएचसी/एमजी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*